झारखण्ड सरकार

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

(पशुपालन)

"अधिसूचना"

विषय :- राज्य में स्थापित गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु मापदण्डों का निर्धारण।

राज्य में गोवंशीय पशु परिरक्षण, सम्वर्द्धन एवं कल्याण से सम्बद्ध गोशाला/संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर गोपालन को बढ़ावा देने तथा दूध उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोशाला/संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिपथ में रखते हुए 'गो सेवा आयोग' के माध्यम से गोशाला/संस्थाओं को सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् प्रक्रिया तथा मापदण्डों का निर्धारण किया जाता है :-

1. **पात्रता :-**

गोशाला/संस्थाओं द्वारा सहायता राशि प्राप्त करने के लिये पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होगी :-

1.1 राज्य में स्थापित गोशाला/संस्थाओं जो, 'गो सेवा आयोग' द्वारा निबंधित हो, को ही सहायता अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

1.2 सम्बन्धित गोशाला/संस्था के कम से कम 3 वर्ष पूर्व से झारखण्ड राज्य में स्थापित तथा संचालित होने के आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 संबंधित गोशाला/संस्था द्वारा प्रस्ताव के साथ उक्त गोशाला/संस्था के पास उपलब्ध भूमि संबंधी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

1.4 संबंधित गोशाला/संस्था के द्वारा अपने आवेदन के साथ विगत दो (2) वर्षों का आय-व्ययक लेखा (Balance Sheet) जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही विगत दो (2) वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन भी समर्पित करना होगा।

2. **प्रक्रिया :**

2.1 इच्छुक गोशाला/संस्था के द्वारा सुदृढ़ीकरण / विकास से संबंधित प्रस्ताव विस्तृत प्राक्कलन (Detailed Estimate) को सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए समर्पित किया जायेगा।

2.2 लघु निर्माण कार्य से संबंधित नक्शा/ब्लू प्रिंट संबंधित गोशाला / संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

शेष पेज 2 पर

2.3 गोशाला/संस्था के सुदृढ़ीकरण / विकास हेतु निम्नांकित अनुमान्य कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(i) जलापूर्ति व्यवस्था

(ii) कैटल शेड

(iii) गोशाला/संस्था हेतु उपकरण

(iv) वर्मी कम्पोस्ट संरचना

(v) गोबर गैस प्लांट

(vi) कम्प्यूटर क्रय

(vii) मिल्किंग मशीन

(viii) दूध विपणन हेतु वाहन क्रय

(ix) दूधारू पशु क्रय

(x) चारा भंडार गृह

(xi) चारा उत्पादन हेतु आधारभूत सुविधा

(xii) चहारदीवारी निर्माण

(xiii) अन्य आवश्यक कार्य जो गोशाला / संस्था से प्राप्त होता है।

3. अनुदान की अनुमान्यता :

3.1 गोशाला एवं संस्थाओं को सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुदान का निर्धारण उनकी आर्थिक सक्षमता, अनुभव इत्यादि के आधार पर आयोग / राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष रू० 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये होगी।

3.2 किसी गोशाला/संस्था द्वारा समर्पित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर सहायता अनुदान राशि झारखण्ड गो सेवा आयोग / राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शत प्रतिशत राशि झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3 गो सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभ में अधिकतम 25 प्रतिशत सहायता अनुदान राशि बतौर अग्रिम दी जायेगी जिसका व्यय करने के उपरांत गोशाला के अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा इसकी समीक्षा कर संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् ही द्वितीय किस्त के रूप में अगली 50% राशि अनुमान्य होगी।

3.4 75% कार्य समाप्ति के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् अंतिम 25 प्रतिशत अनुमान्य सहायता अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

शेष पेज 3 पर

3.7 प्रथम वर्ष में सम्बन्धित गोशाला/संस्थाओं को सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् आगामी वर्ष में सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण झारखण्ड गो सेवा आयोग / राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3.8 गोशाला/संस्थाओं को प्राप्त सहायता अनुदान राशि का उपयोग केवल अनुमोदित प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्य मदों में ही किया जाएगा।

4. गोशाला/संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी सहायता अनुदान राशि का एक अलग लेखा संधारित करना होगा, जिसका अंकेक्षण शाखा, वित्त विभाग / महालेखाकार, झारखण्ड / झारखण्ड गो सेवा आयोग एवं झारखण्ड राज्य सरकार के द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सके।

5. प्रत्येक वर्ष गोशाला/संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये सहायता अनुदान राशि का सी०ए०जी० पैनल से निबन्धित किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराना होगा।

6. गोशाला/संस्थाओं के लिए अनुमोदित प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्य की गुणवत्तापूर्ण नहीं होने या अनुदानित राशि का विचलन की स्थिति में झारखण्ड गो सेवा आयोग को सहायता अनुदान राशि की लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत वसूली का अधिकार सुरक्षित होगा।

7. झारखण्ड गो सेवा आयोग नियमावली, 2008 के नियम 12 के द्वारा व्यय की अनुषान्यता के अनुसार ही अनुदान राशि व्यय की जाएगी। अर्थात् दस लाख रूपये तक की मंजूरी आयोग द्वारा दी जाएगी एवं इससे अधिक की मंजूरी राज्य सरकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. सहायता / अनुदान राशि के लिए किसी भी गोशाला /संस्था द्वारा समर्पित प्रस्ताव को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने का अधिकार राज्य सरकार / गो सेवा आयोग को सुरक्षित रहेगा।

9. तस्करी में पकड़े गये गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद में संबंधित जिलों के उपायुक्त की अनुशंसा एवं दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अधिकतम रू० 20.00 (बीस) रूपये प्रति पशु प्रति दिन की दर से राशि झारखण्ड गो सेवा आयोग / झारखण्ड सरकार स्वीकृत करेगी एवं यह राशि झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा अधिकतम 06 (छः) माह तक दी जायेगी।

शेष पेज 4 पर

10. पूर्व में निर्गत संकल्प (ज्ञापांक-257, दिनांक-14. 03. 2011) को विलोपित किया जाता है।

11. इस प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी सम्बन्धित विभागों को दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डा0 प्रदीप कुमार)
सरकार के सचिव
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- ..... राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड को अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड गो सेवा आयोग,
राँची।

ज्ञापांक :- ..... राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड गो सेवा आयोग,
राँची।

ज्ञापांक :- ..... राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड राँची - सह- प्रशासक झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड गो सेवा आयोग,

ज्ञापांक :- 59/गो० से० आ० राँची, दिनांक 02-07-2015

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची / निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची / सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन / क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गव्य विकास, राँची / सहायक निदेशक (गव्य) / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी / सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी / सचिव, गो सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची / झारखण्ड राज्य अवस्थित सभी गोशाला के सचिव / प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/7/15

सचिव

झारखण्ड गो सेवा आयोग,

राँची।